(7)

न्यायालय भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध अपील वाद सं0–06/21–22

अवध किशोर सिंह बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

22/12/22

आवेदक अवध किशोर सिंह, पिता–जागेश्वर सिंह साकिन–मंझगावॉ थाना–मयूरहंड, जिला–चतरा द्वारा मौजा–मंझगावॉ थाना संख्या–262, तौजी नं–28, खाता संख्या–41, प्लॉट संख्या–180, रकवा–14 डी0 भूमि से संबंधित विपक्षी के नाम से चल रहे जमाबंदी दाखिल खारिज को रद्द करने हेतु लिमिटेशन अवधि क्षांत करने हेतु आवेदन के साथ अधिवक्ता के माध्यम से विविध अपील वाद दायर किया गया है। तदनुसार यह वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में प्रारंभ किया गया।

उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि– यह कि मौजा मंझगांवा, थाना–मयूरहंड, थाना संख्या–262, तोजी नं0–28, अंतर्गत खाता संख्या–41, प्लॉट सख्या–180, में 14 डी0 मनरूप सिंह के नाम से खतियानी हासिल हैं।

वंशावली

मनरूप सिंह

चन्द्रावती देवी	रामदत्त सिंह	श्यामबिहारी सिंह	सीता देवी

अवध किशोर सिंह	प्रमोद सिंह (मृत)	संगीता देवी	सरिता देवी

यह कि मनरूप सिंह के मृत्यु वर्ष 1978 के बाद उनके दोनो पुत्र एवं दोनो पुत्री बराबर के हिस्सेदार हुए एवं चन्द्रावती देवी के मृत्यु वर्ष 1999 के बाद

उनके विधिक वारिसान उनके हिस्से की जमीन व सम्पति के उत्तराधिकारी हैं। यह कि आवेदक ग्राम मंझागावां में ही रहते हैं तथा उक्त जमीन पर आवेदक का शांति पूर्वक दखल कब्जा हैं। यह कि उपरोक्त जमीन को विपक्षी संख्या–02 एवं 03 ने विपक्षी संख्या–04 को गलत तथ्यों के आधार पर बजरिये निबंधित केवाला संख्या–2483/18 से बेच दिया हैं। यह कि उक्त निबंधित केवाला में संलग्न वंशावली भी गलत एवं फर्जी तथा संबंधित वार्ड सदस्य को गलत व फर्जी हस्ताक्षर से दिया गया हैं। यह कि केवाला होने के बाद संबंधित अंचल अधिकारी विपक्षी सख्या–01 के द्वारा बिना सत्यापन व जॉच पड़ताल के दाखिल खारिज विपक्षी संख्या 04 के पक्ष में कर दिया है, जबकि उपरोक्त जमीन पर पूर्व से लेकर जब तक विपक्षी संख्या 02, 03 व 04 का कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा हैं। यह कि उपरोक्त जमीन पर पूर्व से लेकर अभी तक आवेदक का ही दखल कब्जा हैं। यह कि अन्य बाते सुनवाई के समय की जायेगीं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो के आलोक में विपक्षी संख्या 04 के नाम चल रही जमाबंदी दाखिल खारिज को रद्द करने की कृपा करें।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि यह कि–अपीलार्थी के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दायर किया गया यह वाद पोषणीय नहीं है तथा खारिज करने के योग्य है। यह है कि अंचल अधिकारी, मयुरहंड द्वारा विपक्षी सख्या 04 के पक्ष में दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया है जिसमें किसी तरह का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी द्वारा यह वाद तथ्यों को छिपाते हुए दायर किया गया है। यह है कि अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अंकित किया गया तथ्य गलत एवं बनावटी है। यह है कि मौजा–मंझगावॉ, खाता सख्या–41 सेवक सिंह एवं दहन कुवंरी के नाम से दर्ज है। दहन कुवंरी नावल्द मृत हो गए एवं सम्पति का देख रेख सेवक सिंह के द्वारा किया गया। सेवक सिंह लगभग वर्ष 1948 में हिन्दु सक्सेसन एक्ट, 1956 लागु होने के पूर्व ही मृत हो चुके थे। यह है कि कथित मनरूप सिंह उनके पुत्र के रूप में उनका वृद्ध अवस्था में देखभाल किए इस प्रकार सेवक सिंह के सम्पति का मनरूप सिंह अकेले उत्तराधिकारी हुए। यह है कि मनरूप सिंह के दो पुत्र रामदत्त सिंह एवं श्याम बिहारी सिंह मनरूप सिंह के सम्पति पर संयुक्त रूप से काबिज हुए। यह है कि रामदत सिंह अपने विधवा पत्नी गिरजा देवी एवं दो पुत्र मनोज सिंह तथा बिरोज सिंह को छोड़ कर मृत

हुए। यह है कि श्याम बिहारी सिंह अपने विधवा पत्नी सरस्वती देवी एवं एक पुत्र संतोष सिंह को छोड़ कर मृत हुए। यह है कि पैसे की आवश्यकता होने के कारण गिरजा देवी एवं सरस्वती देवी द्वारा संयुक्त रूप से खाता संख्या–41, प्लॉट संख्या–180 रकवा–0.14 एकड़ भूमि निबंधित सेल डीड संख्या–2483 दिनांक–11.07.2018 के माध्यम से विपक्षी संख्या–04 वीणा देवी के पक्ष में राशि प्राप्त कर भूमि बिक्री किया गया। यह है कि अंचल अधिकारी मयुरहंड द्वारा दाखिल खारिज का सभी प्रक्रिया को अपनाते हुए दाखिल खारिज वीणा देवी के नाम से स्वीकृत कर लगान लेकर सरकारी रसीद निर्गत किया गया। यह है कि अंचल अधिकारी, मयुरहंड द्वारा उक्त निबंधित सेल डीड निर्गत किए जाने के पूर्व प्रश्नगत भूमि का भू–धारण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया जो श्याम बिहारी सिंह, पिता–मनरूप सिंह का प्रश्नगत भूमि के साथ अन्य भूमि का दखल कब्जा को प्रमाणित करता है। यह है कि आवेदक अवध किशोर सिंह द्वारा Partition suit No-85/2018 न्यायालय सब जज–I, चतरा के समक्ष मौजा मंझगावॉं, खाता संख्या–41 के संदर्भ में गिरजा देवी एवं सरस्वती देवी के विरूद्ध वाद दायर किया गया है, जो वर्तमान में सुनवाई हेतु लंबित है। यह है कि अंचल अधिकारी, मयुरहण्ड द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमसंगत आदेश पारित किया गया है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि right, title, interest and possession सक्षम सिविल कोर्ट के द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आवेदक के अपील आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अचंल अधिकारी, मयूरहंड द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि–"श्री अवध किशोर सिंह, पिता–जागेश्वर सिंह, साकिन–मंझगावां, थाना–मयूरहंड, जिला–चतरा का प्राप्त आवेदन पर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा जॉच किया गया, जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खाता सख्या–41, प्लॉट संख्या–180, रकवा–0.14 एकड़ भूमि, उक्त भूमि बिक्रेता गिरजा देवी, पति–रामदत सिंह वो सरस्वती देवी, पति–श्याम बिहारी सिंह के द्वारा भूमि को विणा देवी, पति–शिवबच्चन सिंह के साथ बिक्री की गई है। बिक्री के पश्चात् उक्त भूमि का दाखिल–खारिज केश संख्या–173/R27/2018–2019 से प्राप्त है। आवेदन के जॉच के क्रम में पाया गया कि जमाबंदी रैयत बिक्रेता के ससुर मनरूप सिंह के नाम से खाता संख्या–41, रकवा–9.07½ एकड़ भूमि जिसका

पंजी–2 के भाग संख्या–1 पृष्ठ संख्या–181 पर दर्ज है। जमाबंदी रैयत एवं उनके दोनो पुत्रों के मृत्यु के उपरांत उनलोगों कि पत्नी गिरजा देवी वो सरस्वती देवी के द्वारा बिक्री किया गया है। बिक्री के पश्चात् प्रश्नगत भूमि का मापी कर सीमांकन करवा दिया है। वर्तमान में भूमि परती है तथा क्रेतागण अन्यत्र निवास करते हैं।"

जमाबंदी रैयत का वंशावली निम्नवत है:–

वंशावली

मनरूप सिंह पिता–महादेव सिंह (मृत)

1. रामदत सिंह (मृत)
   पत्नी–गीरजा देवी
2. श्याम बिहारी सिंह (मृत)
   पत्नी–सरस्वती देवी

अंचल अधिकारी, मयुरहण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में संलग्न राजस्व उपनिरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि–"अंचल अधिकारी, मयुरहंड के आदेशानुसार ग्राम–मंझगावां के अंतर्गत खाता संख्या–41, प्लॉट संख्या–180 रकवा–0.14 एकड़ भूमि विक्रेता गिरजा देवी पति रामदत सिंह वो सरस्वती देवी पति श्याम बिहारी सिंह के द्वारा उक्त भूमि क्रेता विणा देवी के साथ बिक्री की गई है। बिक्री के पश्चात् उक्त भूमि का दाखिल खारिज अंचल अधिकारी, मयूरहंड केश संख्या–173/R27/2018–19 ऑनलाईन दर्ज है। उक्त भूमि के जमाबंदी रैयत विक्रेता के ससुर मनरूप सिंह के नाम से खाता संख्या–41 रकवा–9.07½ एकड़ भूमि जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या 181/2 पर दर्ज होकर वर्ष 2008–09 लगान रसीद निर्गत है। जमाबंदी रैयत का वंशावली निम्नवत् है।

मनरूप सिंह पिता–महादेव सिंह (मृत)

1. **रामदत सिंह (मृत)**
   पत्नी–गीरजा देवी
2. **श्याम बिहारी सिंह (मृत)**
   पत्नी–सरस्वती देवी

जमाबंदी रैयत एवं उनके दोनो पुत्रो के मृत्यु के उपरांत उनलोगों कि पत्नी विक्रेता गिरजा देवी वो सरस्वती देवी के द्वारा खाता संख्या–41 प्लॉट संख्या–180 रकवा–0.14 एकड़ भूमि विक्री बिणा देवी के साथ किया गया। जिसका जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–4/48 पर ऑनलाईन कायम होकर लगान रसीद निर्गत है। उक्त भूमि का मापी कर पत्थल गड़वा दिया गया है वर्तमान में भूमि परती है क्योंकि क्रेता इस गॉव में नहीं रहते है वो रामगढ़ जिला में रहते हैं।

उपरोक्त अंचल अधिकारी, मयुरहण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं दोनों पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. रैयती भूमि का मामला
2. जमाबंदी रैयत का वंशज होने/नहीं होने से संबंधित विवाद
3. सिविल कोर्ट में दायर Partition suit No-85/2018

1. **रैयती भूमि का मामला** :– आवेदक अपने आवेदन में उल्लेखित किया है कि–" मौजा मंझगांवा, थाना–मयूरहंड, थाना संख्या–262, तोजी नं0–28, अंतर्गत खाता संख्या–41, प्लॉट संख्या–180, में 14 डी0 मनरूप सिंह के नाम से खतियानी हासिल हैं।" साथ ही साथ अंचल अधिकारी, मयुरहण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में अंकित है कि– " जमाबंदी रैयत बिक्रेता के ससुर मनरूप सिंह के नाम से खाता संख्या–41, रकवा–9.07½ एकड़ भूमि जिसका पंजी–2 के भाग संख्या–1 पृष्ठ संख्या–181 पर दर्ज है।"

2. **जमाबंदी रैयत का वंशज होने/नहीं होने से संबंधित विवाद** :– आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में उल्लेखित किया है कि–" निबंधित केवाला में संलग्न वंशावली भी गलत एवं फर्जी तथा संबंधित वार्ड सदस्य को गलत व फर्जी हस्ताक्षर से दिया गया हैं।"

3. **सिविल कोर्ट में दायर Partition suit No-85/2018** :- द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि आवेदक अवध किशोर सिंह द्वारा Partition suit No-85/2018 न्यायालय सब जज–1, चतरा के समक्ष मौजा मंझगावॉ, खाता संख्या–41 के संदर्भ में गिरजा देवी एवं सरस्वती देवी के विरूद्ध वाद दायर किया गया है, जो वर्तमान में सुनवाई हेतु लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न अन्य कागजातों के आधार पर वाद से संबंधित मामला Right, Title, Interest, Possession, Partition आदि का परिलक्षित होता है। वर्तमान में Civil Judge Sr. Div.I के अंतर्गत भी संबंधित भूमि से एक मामला विचाराधीन है। अतः इस न्यायालय से कोई निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

22/12/2022

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

22/12/2022

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.04 08:55:57 -07:00
Location: 2409:40e4:46:f988:3cdd:4fd4:3279:4ffe